सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, बारां (राज.)

पीठासीन अधिकारी श्री सुदर्शन सिंह तोमर (आर.ए.एस.)

इस्तगासा संख्या गुण्डा एक्ट 47/2016

बउनवान

सरकार जर्ये थानाधिकारी पुलिस थाना मॉगरोल जिला बारॉ जर्ये जिला पुलिस अधीक्षक, बारां
(सायल)

बनाम

श्री रामप्रसाद उम्र 58 वर्ष पुत्र केसरीलाल जाति खटीक निवासी बमोरीकलां जिला बारॉ
(गैरसायल)

इस्तगासा अन्तर्गत राज. गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 धारा–3

उपस्थिति :– 1– ए.पी.पी. (सायल)
2– श्री राजेश कुमार गुप्ता अभिभाषक (गैरसायल)

निर्णय दिनांक 31.12.2018

वाक्यात मामला इस्तगासा इस प्रकार है कि गैरसायल श्री रामप्रसाद पुत्र केसरीलाल जाति खटीक निवासी बमोरीकलां थाना मॉगरोल जिला बारॉ के विरूद्व जिला पुलिस अधीक्षक बारां द्वारा राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 की धारा–3 के अन्तर्गत प्रेषित किया गया है।

संक्षिप्त मे प्रकरण इस प्रकार है कि गैरसायल के खिलाफ थानाधिकारी पुलिस थाना मॉगरोल जिला बारां ने जिला पुलिस अधीक्षक महो. बारां को रिपोर्ट की है कि पुलिस थाना मॉगरोल क्षेत्र के अन्तर्गत गैरसायल आपराधिक प्रवृति का व्यक्ति है, इसके विरूद्व पुलिस थाना मॉगरोल मे वर्ष 2014 से 2015 के मध्य कुल 3 प्रकरण 19/54 एक्साइज एक्ट के दर्ज हुये है। उक्त प्रकरणो मे न्यायालय द्वारा गैरसायल को दोष सिद्व ठहराया जाकर, सजायाब किया चुका है। गैरसायल की अपराधिक गतिविधिया फिर भी जारी है। इसका आम जनता मे भय एवं आतंक व्याप्त है। इसके विरूद्व लोग रिपोर्ट करने मे कतराते है एवं साक्ष्य देने से भी डरते है। इसकी आपराधिक गतिविधिया निरन्तर जारी है। इसकी आम शौहरत ठीक नही है। अपराधी का स्वतन्त्र रहना लोकशांती एवं जनहित मे हितकर प्रतीत नही है। इस व्यक्ति के विरूद्व राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 की धारा 3 के तहत विधिक कार्यवाही कर इस जिले की सीमाक्षेत्र से निष्कासित किया जावे।

गैरसायल के विरूद्व दर्ज आपराधिक रिकार्ड निम्न प्रकार है :–

क्र. सं.	प्रकरण संख्या	जुर्म धारा	सी.एस. नं0 दिनांक	निर्णय दिनांक
1.	159/2014 दि. 9.7.14	19/54 एक्साइज एक्ट	125/19.7.14	सजा 26.9.14
2.	115/2015 दि. 5.5.15	19/54 एक्साइज एक्ट	102/27.5.15	सजा 28.3.16
3.	228/2015 दि. 5.9.15	19/54 एक्साइज एक्ट	175/18.9.15	सजा

इस प्रकार गैरसायल द्वारा आपराधिक कार्य किये जिससे सार्वजनिक शांतिभंग होने से आम जनता पर भय का वातावरण उत्पन्न होता है। गैरसायल को उपरोक्त 3 प्रकरणो मे न्यायालय द्वारा दोष सिद्व भी ठहराया जाकर सजायाब किया जा चुका है। यह गुण्डा की परिभाषा मे आता है। अतः इसके विरूद्व अन्तर्गत राज. गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 धारा–3 के तहत कार्यवाही की जावे।

इस्तगासा विरूद्व गैरसायल के पेश कर, उक्त आपराधिक कृत्य मे मशगूल होने से गैरसायल को गुण्डा घोषित किया जाकर, उसे राज. गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 की धारा–3 के अन्तर्गत जिले से निष्कासित करने के आदेश चाहे गये।

इसके उपरांत इस्तगासा दिनांक 27.12.2016 को दर्ज रजिस्टर किया गया तथा पुलिस द्वारा प्रस्तुत इस्तगासे एवं साक्ष्य के सारगर्भित बिन्दुओ को दर्शाते हुए गैरसायल को आहूत किया गया तथा गैरसायल की तलबी की गई। गैरसायल द्वारा जर्ये अभिभाषक उपस्थिति दी गई। गैरसायल के अभिभाषक द्वारा जवाब प्रस्तुत नही कर, अन्तिम बहस सुनी जाने हेतु निवेदन किये जाने पर प्रकरण मे गैरसायल का जवाब बन्द किया जाकर, प्रकरण मे उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

दौराने बहस ए.पी.पी. प्रथम अभियोजन पक्ष सरकार का मुख्य कथन है कि चूंकि गैरसायल के विरूद्व पुलिस थाना मॉगरोल जिला बारॉ मे वर्ष 2014 से 2015 के मध्य कुल 3 प्रकरण 19/54 एक्साइज एक्ट के दर्ज हुये है। उक्त 3 प्रकरणो मे न्यायालय द्वारा गैरसायल को दोष सिद्व ठहराया जाकर, सजायाब किया चुका है। इस सजायाबी आपराधिक रिकार्ड के आधार पर यह गुण्डा की परिभाषा मे आता है। इस आपराधिक सजायाबी रिकार्ड के आधार पर गैरसायल के विरूद्व राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम, 1975 की धारा–3 के अन्तर्गत अपराध प्रमाणित है। उक्त केसो की पुष्टि सरकार पक्ष की ओर से प्रस्तुत अभिलेखो से होती है। यह व्यक्ति आपराधिक गतिविधियो मे लिप्त है।

इसके विपरीत गैरसायल के अभिभाषक द्वारा कहा गया कि पुलिस थाना मॉगरोल जिला बारॉ मे जो गैरसायल के विरूद्व कुल 3 आपराधिक प्रकरण दर्ज हुये है। उक्त सभी प्रकरण 19/54 एक्साइज एक्ट से संबंधित है। गैरसायल के विरूद्व एक बार तो केस जब बनाया गया कि उसके घर पर रसोई का प्रोग्राम था ओर वह मेहमानो के लिए शराब लेकर आ रहा था एवं दो बार जब बनाये गये जब वह शराब के ठेके पर सेल्समेन का कार्य करता था। गैरसायल ने किसी प्रकार का अपराध नही किया है। उसके विरूद्व गलत तरीके से उक्त कार्यवाही पुलिस द्वारा की गयी है। गैरसायल के विरूद्व इसके अलावा कोई आपराधिक प्रकरण जैरकार नही है। गैरसायल निहायत शरीफ व्यक्ति है। गैरसायल मजदूरी कर अपना व अपने परिवार का पालन पोषण करता है। गैरसायल के विरूद्व गुण्डा एक्ट की खोली गई कार्यवाही ड्रोप किये जाने हेतु निवेदन किया गया।

हमने ए.पी.पी. एवं गैरसायल अभिभाषक की बहस सुनी तथा इस्तगासे मे प्रस्तुत अभिलेखो का अवलोकन किया जाकर, मनन किया गया। गैरसायल के विरूद्व पुलिस थाना मॉगरोल जिला बारॉ मे वर्ष 2014 से 2015 के मध्य कुल 3 प्रकरण 19/54 एक्साइज एक्ट के दर्ज हुये है। उक्त प्रकरण अवैध शराब बिक्री से संबंधित है। उक्त 3 प्रकरणो मे न्यायालय द्वारा गैरसायल को दोष सिद्व ठहराया जाकर, सजायाब किया जा चुका है। गैरसायल द्वारा उक्त समस्त प्रकरणो मे जुर्म स्वीकार किये गये है तथा माननीय न्यायालय द्वारा गैरसायल को सजायाब कर प्रकरणों का निस्तारण किया गया है।

अतः उक्त समस्त तथ्यों अनुसार यह साबित होता है कि गैरसायल श्री रामप्रसाद पुत्र केसरीलाल जाति खटीक निवासी बमोरीकलां जिला बारॉ द्वारा उक्त अपराध किए गए है। जिसके आधार पर गैरसायल राजस्थान गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम की धारा 2 (आ) की परिभाषा मे आना पूर्णतया सिद्व है, क्योकि धारा 2 (आ) (5) के प्रावधान के अनुसार गैरसायल को अन्तर्गत धारा 19/45 एक्साइज एक्ट के 3 प्रकरणों मे दोषी ठहराया हुआ है।

अतः गैरसायल श्री रामप्रसाद पुत्र केसरीलाल जाति खटीक निवासी बमोरीकलां जिला बारॉ को सजायाबी रिकार्ड के आधार पर राजस्थान गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम की धारा 2 (आ) के तहत गुण्डा घोषित करता हूँ तथा धारा 3 (3) के प्रावधानो के अन्तर्गत बारां जिले के पुलिस थाना क्षेत्र मॉगरोल से 15 दिन के लिए निष्कासित का आदेश देता हूँ।

गैरसायल श्री रामप्रसाद पुत्र केसरीलाल जाति खटीक निवासी बमोरीकलां जिला बारॉ को राजस्थान गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम 1975 की धारा 3 के तहत पुलिस थाना मॉगरोल से 15 दिन के लिए निष्कासित किया जाता है। गैरसायल अपनी उपस्थित प्रत्येक दिवस थानाधिकारी पुलिस थाना सीसवाली जिला बारॉ को देगा। इस अवधि मे अपराधी ऐसा कोई आचरण नही करेगा जो व्यक्तियों के प्रतिकूल एवं सामान्य व्यवहार संहिता के विरूद्व हो अर्थात इस अवधि मे पूर्ण सचरित्र रहेगा। किसी आपराधिक गतिविधी मे भाग नही लेगा। गैरसायल न्यायालय के समक्ष 10,000/— रूपये का स्वंय मुचलका इस अवधि मे नेचलन रहने के संबंध मे पेश करेगा।

गैरसालय के विरूद्व यह आदेश दिनांक 25.1.2019 से प्रभावी होगा।

नियमानुसार तहरीरे जिला पुलिस अधीक्षक, बारां एवं थानाधिकारी पुलिस थाना सीसवाली जिला बारॉ को दी जावे। थानाधिकारी पुलिस थाना मॉगरोल जिला बारॉ को तहरीर दी जावे, जिसमे यह लिखा जावे कि गैरसायल को उक्त आदेश की पालना मे जिले के पुलिस थाना क्षेत्र मॉगरोल से बाहर निष्कासित कर, थानाधिकारी पुलिस थाना सीसवाली जिला बारॉ के सुपुर्द कर, पालना रिपोर्ट इस न्यायालय मे पेश करे।

निर्णय आज दिनांक 31.12.2018 को सरे इजलास लिखाया जाकर सुनाया गया। पत्रावली बाद तामील तकमील फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

(सुदर्शन सिंह तोमर)
अति0 जिला मजिस्ट्रेट, बारॉ